भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES पाँच रुपये Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय म.प्र.राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप भोपाल

निगरानी क्र........./2016 निग - 2447 II-16 137

किशनलाल आ.हरिनारायण राय आयु व्यस्क
कृषक ग्राम अवंतिपुरा निवासी कलारपुरा कस्बा सीहोर,
तहसील व जिला-सीहोर म.प्र. ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. सुरेश राय आ.छोटेलाल राय
2. गोरधन राय आ.मन्नूलाल राय

दोनो कृषक ग्राम अवंतिपुरा निवासी कलारपुरा कस्बा सीहोर
तहसील व जिला-सीहोर म.प्र. ....प्रतिनिगरानीकर्तागण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 11/06/2016 जो प्रकरण क्र. 448/बी-121/2015-16 में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय सीहोर द्वारा पारित किया गया।

श्रीमान जी,

निगरानीकर्ता आलोच्य आदेश से दुखी एवं प्रभावित होकर निम्न तथ्य एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करता हैं –

-:: तथ्य ::-

1. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रतिनिगरानीकर्ता-2 के स्वत्व व आधिपत्य में स्थित भूमि सर्वे नं.66 रकबा 4.37 एकड़ में से पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा भूमि रकबा 1.001 हेक्टेयर क्रय की गई है। क्रय करने के पश्चात क्रय की गई भूमि राजस्व अभिलेख खसरे में निगरानीकर्ता के नाम सर्वे नं.66/1 पर दर्ज की गई है।

2. यह कि रेस्पॉडेंट क्र.1 स्वदेश राय द्वारा हरिनारायण राय से भूमि सर्वे क्र.70/2 रकबा 3.50 एकड़ बटिया पर कृषि कार्य हेतु लेना बतलाते हुए निगरानीकर्ता एवं प्रतिनिगरानीकर्ता क्र.2 के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि सर्वे नं.66 एवं 66/1 में स्थित सिंचाई के स्त्रोत से विगत् वर्ष सिंचाई हेतु पानी दिया जाना बतलाया तथा इस वर्ष पानी दिये जाने से मना करना बतलाते हुए आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 131 म.प्र.भू.रा.सं.1959 के तहत अधीनस्थ तहसीलदार सीहोर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 2447–दो/2016 जिला–सीहोर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24 – 8–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री बी0के0 श्रीवास्तव उपस्थित । उनके द्वारा तहसीलदार, सीहोर के प्र0क्र0 448/अ–121/15–16 में पारित आदेश दिनांक 11.06.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा–50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्कों पर में वही तर्क दौहराय, जो निगरानी मेमो में अंकित है। 3/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। निगरानी मेमो एवं उसके संलग्न आक्षेपित आदेश दिनांक 11.06.2016 सहित संलग्न आवश्यक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया। यद्यपि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 131 मार्गाधिकार तथा अन्य प्राइवेट सुखाचर संबंधी अधिकार– (1) " इस बारे में कि कोई खेतिहार अपने खेतों पर या ग्राम की बंजर भूमि या चरागाहों पर मान्यता प्राप्त सकड़ों, पथों या सर्वाजनिक भूमि पर से , जिसके अंतर्गत वे सड़कें तथा पथ है जो धारा 242 के अधीन तैयार किए गये ग्राम के वाजिब–उल–अर्ज में अभिलिखित है, न हो कर अन्यथा सि मार्ग द्वारा द्वारा, पहुंचेगा, या इस बारे में कि वह किस	

स्त्रोत से या किस जलसरणी से अपने लिये जल प्राप्त कर सकेगा, कोई विवाद उदभूत होने की दशा में तहसीलदार स्थानीय जांच करने के पश्चात, उस मामले को, प्रत्ये मामले विषयक पूर्व रूढ़ि के प्रति निर्देश कर के तथा समस्त संबंधित पक्षकारों की सुविधा का सम्यक ध्यान रखते हुये, विनिश्चित कर सकेगा ।" इस धारा के अधीन पारित किया गया कोई भी आदेश किसी व्यक्ति को सुखाचारों के ऐसे अधिकार को स्थापति करने से विवर्जित नहीं करेगा, जिनका की दावा वह सिविल वाद द्वारा कर सकता है ।

4/ इस धारा के अधीन प्राधिकृत अधिकारी–इस धारा के अधीन तहसीलदर की शक्तियां अन्य अधिकारियों को प्रदान की गई हैः– समस्त सहायक भू–अभिलेख अधिकारी, राज्य में नजूल अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले समस्त डिप्टी कलेक्टरों को, राज्य के समस्त बंदोबस्त अधिकारियों को। इस धारा के अधीन तहसीलदार की शक्तियां, संहिता की धारा 108 के अंतर्गत अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारियों को प्रदान की गई है ।

5/ इस प्रकरण में जैसा कि आवेदक अभिभाषक ने निगरानी मेमो एवं अपने तर्कों में कहा है कि तहसीलदार सीहोर द्वारा विधिक आधारों पर प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का निराकरण न करते हुये विधिक के रूप से अंतरिम आदेश पारित किया है । संहिता की धारा 131 के अंतर्गत पूवे से कदिमी तौर पर चली आ रही व्यवस्था मार्ग या जलमार्ग को अवरूद्ध करने पर मार्ग में उत्पन्न की गई बाधा को हटाने के संबंध में प्रावधान किये गये है जिसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को वैधानिक रूप से सीमित

अधिकार प्राप्त रहे है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार से परे जाकर आवेदक के जलस्त्रोत से अनावेदक क्र0 1 को उसकी भूमि में सिंचाई हेतु पानी दिये जाने संबंधी पारित आदेश क्षेत्राधिकार विहिन होने से निरस्त किये जाने योग्य है । दिनांक 11.06.2016 द्वारा किया गया आलोच्य आदेश को विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता।

6/ अतः तहसीलदार सीहोर का आलोच्य आदेश दिनांक 11.06.2016 निरस्त किया जाकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है । पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य